



Neutral Citation No. 2026:AHC:5795

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 29 / 2026

गुरबख्श सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता
अधिवक्ता

:

अखिलेश कुमार पांडे नासिर हुसैन वरिष्ठ

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता
अधिवक्ता

:

अरुण कुमार पांडे मुख्य स्थाई

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. श्री विनय कुमार खरे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता श्री नासिर हुसैन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने की श्री एम.एन. मिश्रा राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और श्री अरुण कुमार पांडे प्रत्यर्थी ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट याचिका पर बिना प्रतिशपथ पत्र मंगाए ही अंतिम सुनवाई की गई।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय/उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (जिसे इसके बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 229बी के तहत एक वाद दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने वाद में मुद्दों को निर्धारित किए बिना ही दिनांक 29.05.1997 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से वादी के वाद को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 25.11.1997 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर द्वितीय अपील को भी राजस्व परिषद ने दिनांक 09.04.2025 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। अतः निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

i. उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद प्रयागराज द्वारा द्वितीय अपील संख्या एसए/30/199798/बिजनौर (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल1998131699119) (गुरु बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 09.04.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाए यह आदेश उ० प्र० जमींदारी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 331 के तहत पारित किया गया था (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 6)।

ii. उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3/अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा अपील संख्या 72/199697 (गुरु बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 25.11.1997 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाए यह आदेश उ० प्र० ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 331 के तहत पारित किया गया था (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 4)।

iii. उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4/उप-विभागीय अधिकारी नगीना जिला बिजनौर द्वारा मूल वाद संख्या 28/1996 (गुरु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में उ० प्र० ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 331 के तहत पारित दिनांक 29.05.1997 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 2)।

iv. कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और सही समझे।

v. याचिकाकर्ता को उसके वाद व्यय प्रदान किए जाएंगे।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर वाद को बिना मुद्दों को निर्धारित किए और पक्षों को कानून के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रस्तुत किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि वाद में मुद्दों को निर्धारित किए बिना ही विचारण न्यायालय ने एक अस्पष्ट आदेश पारित करके घोषणा के वाद को खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के आदेश को प्रथम अपील के साथ साथ द्वितीय अपील में भी मनमाने ढंग से बरकरार रखा गया है। उन्होंने इस न्यायालय के उस निर्णय पर भरोसा जताया जो **2020 (146) आरडी 186 बाबू बनाम महावीर और अन्य** में प्रकाशित हुआ था ऐसा उन्होंने यह दर्शाने के लिए किया कि घोषणा के वाद को बिना मुद्दों को निर्धारित किए और पक्षों को कानून के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा ने यह दलील दी कि यह सही है कि विचारण न्यायालय ने मुकदमे में मुद्दों को तय नहीं किया है लेकिन राजस्व परिषद ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि विचाराधीन प्लॉट की प्रविष्टि को देखते हुए वादी का मुकदमा कायम नहीं रखा जा सकता। उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि गाँव सभा के प्लॉट के संबंध में प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि विवादित फैसले के खिलाफ किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत घोषणा के लिए दायर वाद को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और विचारण न्यायालय के आदेश को अपील के साथ साथ द्वितीय अपील में भी बरकरार रखा गया है।

8. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी जो अब उ० प्र० भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 के तहत घोषणा के लिए दायर वाद का निर्णय वाद बिंदु निर्धारित किए बिना और पक्षों को विधि के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता है।

9. इस न्यायालय ने बाबू (उपर्युक्त) मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर वाद में बिना वाद बिंदु निर्धारित किए पारित किया गया आदेश विधि की दृष्टि में मान्य नहीं हो सकता है। बाबू (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय के परिच्छेद संख्या 4 5 और 6 निम्नलिखित हैं:-

“जिस तरह से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर मुकदमे का निस्तारण दिनांक 28.01.2019 के विवादित आदेश द्वारा किया गया है उसकी सराहना नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय ने न तो कोई मुद्दे तय किए हैं और न ही पक्षों को अपने अपने मामलों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

जैसा कि न्यायालय ने अपने दिनांक 21.02.2019 के आदेश में पहले ही उल्लेख किया है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत की जाने वाली कार्यवाही एक नियमित कार्यवाही है जिसमें किसी जोत में अधिकारों की घोषणा का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता भी विवादित आदेश का बचाव करने में असमर्थ रहे हैं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस बात से सहमत हैं कि इस मामले को संबंधित उप-विभागीय अधिकारी के पास वापस भेजा जाना चाहिए था।”

10. विचारण न्यायालय का विवादित आदेश यह पूरी तरह से दर्शाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई भी मुद्दा निर्धारित नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर वाद को एक अस्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर मुकदमा एक विशेष प्रकृति का होता है इसलिए इसे मनमाने तरीके से नहीं निस्तारित किया जा सकता।

12. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के साथ साथ इस न्यायालय द्वारा बाबू (उपर्युक्त) मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांत पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय और द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय विधि की दृष्टि में मान्य नहीं ठहराए जा सकते तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद प्रयागराज द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पारित आदेश प्रत्यर्थी संख्या 3/अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा दिनांक 25.11.1997 को पारित आदेश और प्रत्यर्थी संख्या 4/उप-विभागीय अधिकारी नगीना जिला बिजनौर द्वारा दिनांक 29.05.1997 को पारित आदेश एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

13. यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है और मुकदमा प्रत्यर्थी संख्या 4/विचारण न्यायालय/उप-विभागीय अधिकारी नगीना जिला बिजनौर के समक्ष वापस भेजा जाता है ताकि वे मुकदमा संख्या 28/1996 (गुरु बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) को उसके मूल संख्या पर पुनः पंजीकृत करें और विधि के अनुसार मुद्दों को निर्धारित करने तथा पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरान्त इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक उसका नए सिरे से निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 9, 2026

इस्तियाज़

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"